बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री जटाशंकर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मटिहानी जिला- बेगूसराय को विभागीय मुख्यालय के विधि कोषांग के कार्यो की महत्ता को देखते हुए अधिसूचना निर्गत की तिथि से दिनांक- 31.03.2016 तक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (मुख्यालय सचिवालय) में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. श्री जटाशंकर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत तिथि के दो दिनों के अन्दर विभागीय मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित कर विभागीय विधि कोषांग के कार्यो का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. श्री जटाशंकर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मटिहानी, बेगूसराय का वेतनादि भुगतान इनके पदस्थापन कार्यालय के नियंत्री कार्यालय द्वारा ही पूर्ववत् होता रहेगा ।

4. इनकी प्रतिनियुक्ति अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, इसलिए नये प्रतिनियुक्त स्थान पर योगदान करने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

5. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

20/1/2016

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-प्र0-3-विविध-48/2014- 417 खाद्य, पटना/दिनांक- 20-01-16

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला आपूर्ति पदाधिकारी बेगूसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय/श्री जटाशंकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मटिहानी, बेगूसराय/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी विधि कोषांग प्रशाखा-04/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय से अनुरोध है कि वे श्री जटाशंकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय को मुख्यालय में योगदान देने हेतु तुरंत विरमित कर देंगे ।

20/1/2016

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\Year-2014-15 Sec-03 File\Adhisuchna.doc